August 17, 2026

The General Manager, Listing Department BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 524051	The Manager, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, NSE Building, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051 Trading Symbol: POLYPLEX

Dear Sir(s),

Ref: Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Sub: Submission of Newspaper Notice regarding dispatch of Annual Report for the financial year 2025-26 and Notice of 41st Annual General Meeting of the Company

Please find enclosed copies of Newspaper Notice, published in Business Standard (English) and in Uttar Ujala (Hindi) on Saturday, August 15, 2026, in connection with the dispatch of Annual Report for the financial year 2025-26 and Notice of 41st Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, September 8, 2026 at 04.00 p.m. (IST) through VC/OAVM.

You are requested to take this on record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Polyplex Corporation Limited

ASHOK KUMAR GURNANI

Digitally signed by ASHOK KUMAR GURNANI
Date: 2026.08.17 15:52:22 +05'30'

Ashok Kumar Gurnani
Company Secretary

Email: akgurnani@polyplex.com

Encl: as above

घोषित अपराधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट का आदेश

द्वितीय अपर सेशन जज की अदालत ने सुनाया फैसला

नैनीताल। द्वितीय अपर सेशन जज (कुलदीप शर्मा) की अदालत ने अदालती कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित चल रही घोषित अपराधी नीलम के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) सुशील कुमार शर्मा उपस्थित हुए। अदालत ने पाया कि आरोपी नीलम की जमानत के लिए होमगार्ड कमला देवी द्वारा जमा की गई 50 हजार रुपये की बंधपत्र राशि के स्रोतों का कोई बैंक दस्तावेज या वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिला कमान्डेंट होमगाड्‌र्स की जांच आख्या से असंतुष्ट होकर अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करने का मामला माना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), नैनीताल को विशेष निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि एसएसपी उस जांच दल से (जिसमें क्षेत्राधिकारी भीमताल व अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं) यह भी जांच करवाएं कि क्या जमानतदार कमला देवी और उनके पिता प्रेम बल्लभ शर्मा ने अदालत को गुमराह करने के लिए झूठा हलफनामा जमा किया था। यदि जांच में फर्जीवाड़ा या गुमराह करने के साक्ष्य मिलते हैं, तो दोषियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज कर विवेचना की जाएगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर 2026 तय की है।

जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने भीमताल थाना क्षेत्र अंतर्गत रेस्टोरेंट के बाहर मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोपी राहुल सिंह रावत, अजय कुल्याल और गौरव कुल्याल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया था कि मामले में पुलिस ने आरोपियों पर झूठे आरोप लगाए हैं और पीड़िता को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि, अभियोजन पक्ष (सहायक लोक अभियोजक अंजनी कुमार तिवारी) ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए इसे एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध बताया।

घटना छह जुलाई 2026 की देर रात भीमताल स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर हुई। शिकायतकर्ता हिमांशु रैक्वाल का आरोप है कि आरोपियों और 10-12 अन्य लोगों ने शराब के नशे में रेस्टोरेंट खोलने को लेकर बहस की, गाली-गलौज की और मारपीट की। विरोध करने पर आरोपियों ने शिकायतकर्ता के भाई के सिर पर लोहे के निकल/रॉड से वार कर दिया। इसके अलावा, अस्पताल और अन्य स्थान पर भी रिश्तेदारों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक व्यक्ति के सिर में टांके आए और कंधे में फ्रैक्चर हुआ। अदालत ने साक्ष्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए माना कि धारा 109 बीएनएस एक अत्यंत गंभीर और आजीवन कारावास तक से दंडनीय अपराध है। लिहाजा, अदालत ने 14 अगस्त 2026 को तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश जारी किया।

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर - 263153

कारपोरेट आईडेन्टीटी संख्या : U40109UR2001SGC025867 दूरभाष : 05944-243405

विद्युत बाधित सूचना

विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर प्रथम, संबंधित समस्त सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र, भदईपुरा रुद्रपुर से पोषित 11 के०वी० बी०एच०ई०एल० पोषक की लाईन को बदलने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु निम्नलिखित तिथियों में निम्नलिखित उपकेन्द्रों की विद्युत आपूर्ति पूर्ण/आंशिक रुप से बाधित रहेगी।

उपसंस्थान	प्रभावित पोषक	प्रभावित क्षेत्र	दिनांक	अवधि
33/11 के०वी० उपकेन्द्र, भदईपुरा	11 के०वी० बी०एच०ई०एल०	मै० बी०एच०ई०एल०, आंचल आहार, किच्छा बाईपास रोड	16.08.2026	प्रातः 09:00 बजे से 04:00 बजे तक

अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग को सहयोग करने की कृपा करें व उक्त अवधि में वैकल्पिक व्यवस्था भी करने का कष्ट करें तथा इन्वर्टर व जनरेटर को चलाते समय ग्रिड लाईन से अलग करके ही चलायें, जिससे बैंक फिडिंग के कारण किसी भी अप्रिय घटना से बचाव हो सके।

No.: 621/EE(CM)/UPCL/A-2 Date: 14/08/2026 — अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्र हित में बिजली राष्ट्र हित में बिजली बचायें, बिजली बचाने हेतु एल0ई0डी0 बल्ब का प्रयोग करें।
(टोल फ्री नं0 1912) विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाइन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जाए।
(विद्युत चोरी की सूचना टोल फ्री नं0 1800 180 4185 /फैक्स संख्या - 0135-2760911 पर दें।)

सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बाहर की दवा न लिखें चिकित्सक

चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक में कई मुद्‌दों पर चर्चा

उत्तर उजाला संवाददाता

हल्द्वानी। डीएम ललित मोहन रयाल ने जनपद के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बाहर की दवा न लिखने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में आवश्यक जेनरिक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि मरीजों को उपचार के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

शुक्रवार को कैंप कार्यालय में डीएम की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में बेस अस्पताल हल्द्वानी, महिला अस्पताल, बीडी पांडेय चिकित्सालय नैनीताल और रामनगर चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, स्वच्छता, रखरखाव और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में अस्पतालों में कचरा निस्तारण, भवनों के रखरखाव, मरीजों की सुविधा के लिए आवश्यक उपकरणों और दवाओं की उपलब्धता से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बीडी पांडेय चिकित्सालय के लिए पांच इनवर्टर खरीदने, आवश्यक दवाओं एवं जच्चा-बच्चा संबंधी सामग्री की खरीद, लघु मरम्मत कार्य, छोटी एंबुलेंस खरीदने और नियमानुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती को स्वीकृति दी गई। वहीं बड़े निर्माण कार्यों के लिए शासन को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भेजने के निर्देश दिए गए। सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में रिक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के लिए शासन से शीघ्र पत्राचार करने, पुराने आवासों की मरम्मत, नए भवनों का जल्द हस्तांतरण, ऑपरेशन थिएटर के लिए आवश्यक उपकरण और विद्युत स्टेबलाइजर खरीदने के निर्देश दिए गए। महिला चिकित्सालय में शौचालय सहित अन्य निर्माण एवं रखरखाव कार्यों पर चर्चा के साथ लघु निर्माण कार्य और आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए गए। वहीं रामनगर चिकित्सालय में आईसीयू को जल्द शुरू करने और अन्य व्यवस्थाएं पूरी करने पर जोर दिया गया। डीएम रयाल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सभी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जाए और मरीजों को समय पर सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाए। उपचार के लिए आने वाले मरीजों को दवा खरीदने के लिए अस्पताल से बाहर जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। बरसात के मौसम को देखते हुए उन्होंने सभी अस्पतालों में संक्रामक रोगों से निपटने के लिए आवश्यक दवाएं, उपकरण और अन्य संसाधन पहले से उपलब्ध रखने के निर्देश दिए।

साथ ही अस्पतालों की स्वच्छता, चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव और स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष नैनीताल डॉ. सरस्वती खेतवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि पंत, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. द्रोपदी, रामनगर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. तपन कुमार शर्मा, एसटीओ डीके अन्नू, सुभाष चंद्र सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस के 14 कार्मिक होंगे सीएम सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित

उत्तर उजाला ब्यूरो

देहरादून। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड पुलिस के 14 पुलिस कार्मिकों को उनकी उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इनमें 8 पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों को सेवा के आधार पर तथा 6 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक (सेवा के आधार पर) के लिए नीलेश आनंद भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, साइबर/एसटीएफ, रेवाधर मठपाल अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस दूरसंचार, जनपद नैनीताल, भास्कर लाल शाह, पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय /f वधानसभा सुरक्षा, उत्तराखण्ड, त्रिवेन्द्र सिंह राणा, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद चमोली, मनीष जस्वाल, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, गिरिधर सिंह रावत, निरीक्षक, नागरिक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, मोहम्मद यासीन, निरीक्षक, नागरिक पुलिस, पुलिस मुख्यालय और दिनेश चन्द्र, गुल्मनायक 40वीं वाहिनी पीएसी का चयन किया गया है। विशिष्ट कार्य हेतु मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक वर्गीय मनोज मनराल, निरीक्षक, अभिसूचना, एलआईयू देहरादून (मरणोपरान्त),. स्व.विनोद कुमार, उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, जनपद टिहरी गढ़वाल (मरणोपरान्त), सुनील कुमार मीणा, पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक, नवनीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद हरिद्वार, शान्तनु पराशर, अपर पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम पुलिस थाना, देहरादून, मनोज असवाल पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना को चयनित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पदक हेतु चयनित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पुलिस कार्मिकों द्वारा कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण एवं उत्कृष्ट सेवाभाव के साथ किए जा रहे कार्यों का सम्मान है तथा इससे समस्त पुलिस बल को अपने दायित्वों का और अधिक निष्ठा एवं समर्पण के साथ निर्वहन करने की प्रेरणा मिलेगी।

आज सम्मानित होंगे एसपी मठपाल

हल्द्वानी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नैनीताल के एसपी संचार रेवाधर मठपाल को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस उपलब्धि पर एसएसपी डा. मंजूनाथ टीसी सहित पूरे नैनीताल पुलिस परिवार ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एसएसपी डा. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि रेवाधर मठपाल ने अपने लंबे सेवाकाल में निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। उनका यह सम्मान पुलिस विभाग के लिए भी गौरव की बात है। बता दें कि रेवाधर मठपाल का चयन वर्ष 1994 में पुलिस रेडियो विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर हुआ था।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड, जनपद- चम्पावत

▶ **सेब की अतिसघन बागवानी योजना** – वित्तीय वर्ष 2026–27 में उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग, जनपद – चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0 1/156716/XIII - 3/23/10(10)/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023 व शासनादेश सं0 I/288163/XIII - 3/25/10(10)/2023 दिनांक 11 मार्च 2025 में निहित प्राविधानों के तहत 60 प्रतिशत राजसहायता में सेब बागानों की स्थापना की जानी हैं।

अतः जो भी कृषक उक्त योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं। वह अपने निकटवर्ती उद्यान सचल दल केन्द्रों मे सम्पर्क कर योजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुये "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 31 अगस्त 2026 कर सकते हैं।

▶ **नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) पॉलीहाउस निर्माण**

1. नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (Naturally Ventilated) 74800 वर्ग मी0 पॉलीहाउस का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जाना हैं।
2. पॉलीहाउसों का निर्माण 80 प्रतिशत राजसहायता पर कलस्टर की अवधारणा अपनाते हुये किया जाना हैं। जिसमें लघु एवं सीमान्त कृषक, महिला, एन0आर0एल0एम0 कृषक समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. पॉलीहाउस निर्माण 50 वर्गमी0 से 100 वर्ग मी0 तक किया जा सकता हैं। पॉलीहाउस निर्माण हेतु कृषक राज्य सरकार के अपणी सरकार पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
4. जनपद चम्पावत हेतु निर्धारित कार्यदायी फर्मो में से कृषक अपनी इच्छानुसार कार्यदायी फर्म का चयन कर पॉलीहाउस निर्माण कार्य निर्धारित मानकानुसार करवा सकते हैं। पॉलीहाउस निर्माण पर देय रा0सहा0 का भुगतान सी0बी0डी0सी0 (सैन्ट्रल बैक डिजिटल करेन्सी) के माध्यम से किया जायेगा।

अतः समस्त कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि उक्तानुसार योजना से लाभान्वित होने हेतु अपने नजदीकी उद्यान सचल दल केन्द्र से सम्पर्क करें।

जिला उद्यान अधिकारी चम्पावत। | मुख्य विकास अधिकारी चम्पावत। | जिलाधिकारी चम्पावत।

टनल हादसाः मंत्री ने की राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा

देहरादून। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने शुक्रवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) पहुंचकर जनपद चमोली के पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी टनल में हुई घटना के उपरांत संचालित राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने टनल के भीतर लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे सर्च एवं रेस्क्यू अभियान, घायलों के उपचार तथा घटनास्थल पर संचालित अन्य राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन प्रकाश चंद्र तथा अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी ने मंत्री को राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। मा. मंत्री ने घायलों के उपचार की स्थिति की जानकारी लेते हुए उनके समुचित उपचार एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मृतकों के शवों को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

एसआईआर में 2.83 लाख से अधिक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक कर एसआईआर के सम्बंध में विस्तृत चर्चा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर के तीसरे चरण में गतिमान दावे एवं आपत्तियों की प्रक्रिया में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 एवं मेनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल में निहित प्रावधानों की बिंदुवार जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक कुल 2 लाख 83 हजार 890 दावे एवं आपत्तियां विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई हैं। जिसके तहत 1 लाख 28 हजार (फार्म-6), 1 लाख 7 हजार (फार्म-7) और 47 हजार (फार्म-8) प्राप्त हुए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों से आग्रह करते हुए कहा कि दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के दौरान राजनैतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजनैतिक दलों को यह भी अवगत कराया कि वर्तमान में फार्म 6,7 और 8 को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया गतिमान है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद रानीखेत, चिलियानौला

संख्या: 225/न.पा./2026-27 — दिनांक: 12.08.2026

15 अगस्त 2026, 80 वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

15 अगस्त 2026, 80 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर नगर के विकास का नया इतिहास रचने का संकल्प लेकर नगरवासियों को समस्यामुक्त जिन्दगी का हक दिलाने में प्रयासरत रहेंगे।

नागरिक बन्धुओं से विनम्र अपील

1. निकाय के समस्त करों एवं शुल्को का भुगतान समय से करें।
2. व्यावसायिक लाइसेन्स अनिवार्य रुप से बनवायें।
3. स्वरोजगार को अपनाकर आत्मनिर्भर बनें।
4. पॉलीथिन प्रतिबन्धित है, कृपया पॉलीथिन का इस्तेमाल न करें। (सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें)
5. अपने घर एवं प्रतिष्ठान का सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, और परिसंकटमय कूड़ा अलग-अलग करके नगर पालिका के कूड़ा वाहन में डालें।
6. खुले में, सड़क पर, नाली/नाले/नगर आदि स्थानों पर कूड़ा फेंकना/थूकना तथा कूड़ा जलाना कानूनी अपराध है।
7. नगर के विकास एवं केन्द्र और राज्य सरकार की कार्य योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करते हुए यूजर चार्जेज इत्यादि का भुगतान समय से करें
8. अतिक्रमण प्रथा पर रोक लगाने हेतु न तो स्वयं अतिक्रमण करें न ही दूसरों को अतिक्रमण करने दें।
9. जल संचय जीवन संचय, नलों में टोंटी लगावें, जल को व्यर्थ न बहने दें।
10. पर्यावरण संन्तुलन हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें तथा वृक्षो को न काटे और न ही काटने दे।
11. जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन अवश्य करायें।
12. समान नागरिक संहिता 2024 के अन्तर्गत आवश्यक रुप से पंजीकरण करायें।
13. सीवर का पानी खुले मे न बहाये।
14. बरसात में छत से निकलने वाले पानी के पाईप को नाली तक जोडे।
15. नगर क्षेत्रान्तर्गत नव निमार्ण कार्य करने से पूर्व नगर पालिका को सूचित करें तथा नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करें।
16. सार्वजनिक मार्ग में कोई भी कार्य करने से पूर्व नगर पालिका को सूचित करें।
17. सभी भू-स्वामियों एवं व्यापारी बन्दुओं के अनुरोध है कि सडक किनारें उतारी गयी भवन निर्माण सामग्री को 2 दिन के अन्दर हटा दें, जिससे यातायात बाधित न हो और किसी अप्रिय घटना का सामना न करना पडे।
18. नगरपालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के समस्त सम्मनित नागरिकों को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के अन्तर्गत निकाय क्षेत्रान्तर्गत गृहकर लागू किए जाने हेतु दिनांक 24 फरवरी 2024 को तत्कालीन संयुक्त मजिस्ट्रेट/प्रशासक महोदया तथा स्थानीय जनता के मध्य बैठक व शंकाओ के समाधान के पश्चात सम्पत्ति एवं भवन स्वकर निर्धारण उपविधि-2022 को नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत 18 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है। सभी सम्मानित नगरवासियों से अपेक्षा है, कि जुलाई प्रथम सप्ताह से सम्पत्ति कर नगर क्षेत्र में लागू कर दिया गया है, इस अभियान में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें तथा समय से सम्पत्ति कर जमा कर छूट का लाभ उठायें।

अधिशासी अधिकारी — अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद, रानीखेत, चिलियानौला

POLYPLEX
पॉलीप्लेक्स कार्पोरेशन लिमिटेड

(CIN: L25209UR1984PLC011596)

पंजीकृत कार्यालय: लोहिया हेड रोड, खटीमा-262308, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड
कॉर्पोरेट कार्यालय: बी-37, सेक्टर-1, नोएडा-201301, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
फोन: 0120-2443716-19 **फैक्स:** 0120-2443724
ईमेल: investorrelations@polyplex.com **वेबसाईट:** www.polyplex.com

सूचना
41वीं वार्षिक आम बैठक, रिकार्ड तिथि और रिमोट ई-वोटिंग

यह सूचित किया जाता है कि पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की 41वीं वार्षिक आम बैठक (41वीं AGM) मंगलवार, 8 सितम्बर 2026 को अपराह्न 04:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (OAVM) के द्वारा आयोजित की जाएगी। यह बैठक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा VC/OAVM के माध्यम से आम बैठकें आयोजित करने के लिए समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (लिस्टिंग विनियम) के अनुपालन में आयोजित होगी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट और 41वीं AGM की सूचना, बैठक में भाग लेने एवं मतदान की प्रक्रिया सहित, दिनांक 14 अगस्त 2026 को उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/KFin Technologies Limited (KFin)/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (DPs) के पास पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट इन लिंक से डाउनलोड की जा सकती है: https://investor.polyplex.com/ एवं उन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट से, जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और KFin की वेबसाइट से यानी https://evoting.kfintech.com/ कंपनी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त एजेंसी होने के नाते। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति केवल अनुरोध पर ही सदस्यों को भेजी जाएगी।

रिकार्ड तिथि

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु, प्रति शेयर ₹1 का अंतिम लाभांश प्राप्त करने के अधिकार निर्धारण हेतु रिकॉर्ड तिथि मंगलवार, 8 सितम्बर 2026 होगी।

रिमोट ई-वोटिंग

1. कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनियाँ (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और लिस्टिंग विनियम की विनियम 44 के अंतर्गत, कंपनी अपने सदस्यों को बैठक स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने ('रिमोट ई-वोटिंग') की सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि वे इस नोटिस में उल्लिखित कार्यसूची पर मतदान कर सकें।
2. जिस व्यक्ति का नाम 1 सितम्बर 2026 की कट-ऑफ तिथि को सदस्यों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वही सदस्य ई-वोटिंग अथवा 41वीं AGM में उपस्थित होकर मतदान करने का अधिकारी होगा।
3. KFin को 41वीं AGM के संचालन हेतु VC/OAVM सुविधा उपलब्ध कराने तथा रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है।
4. सदस्य रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान https://evoting.kfintech.com पर जाकर अपना मतदान कर सकते हैं।
5. सदस्य अपने-अपने डिपॉजिटरी जैसे NSDL (https://eservices.nsdl.com) और CDSL (www.cdslindia.com) पर पंजीकरण कर रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं।
6. रिमोट ई-वोटिंग 5 सितम्बर 2026 को सुबह 09:00 बजे (IST) प्रारंभ होगी और 7 सितम्बर 2026 को शाम 05:00 बजे (IST) समाप्त होगी। 7 सितम्बर 2026 को शाम 05:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
7. वह व्यक्ति, जो कंपनी द्वारा 41वीं AGM की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और जिसका नाम कट-ऑफ तिथि (1 सितम्बर 2026) पर शेयरधारकों में दर्ज है, तथा जिन सदस्यों का ईमेल पंजीकृत नहीं है, वे 41वीं AGM के नोटिस में दी गई विस्तृत प्रक्रिया का पालन करके यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य पहले से KFin पर ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो वह अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके रिमोट ई-वोटिंग कर सकता है।
8. 41वीं AGM में बैठक में उपस्थित होने वाले उन सदस्यों के लिए, जिन्होंने पहले से रिमोट ई-वोटिंग नहीं की है, "इंस्टा पोल" के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
9. वे सदस्य जिन्होंने पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर लिया है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

यदि किसी सदस्य को कोई प्रश्न/शिकायत हो, तो KFin वेबसाइट https://evoting.kfintech.com के Help - FAQs अनुभाग पर जाएँ या श्री रमेश एस. आर., एवीपी, / KFin Technologies Limited, (यूनिट: पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड), सेलेनियम बिल्डिंग, टावर बी, प्लॉट 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500 032 से संपर्क करें अथवा टोल फ्री नंबर 1800-3094-001 पर कॉल करें, ई-मेल: einward.ris@kfintech.com। सदस्य कंपनी सचिव को investorrelations@polyplex.com पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय में भी लिख सकते हैं।

कृते **पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड**
(हस्ता./)
अशोक कुमार गुरनानी
कम्पनी सचिव

स्थान : नोएडा
दिनांक : अगस्त 14, 2026